न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम–4 जयपुर जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :: **नीतू भारद्वाज,"आर.जे.एस."**

निगरानी याचिका संख्या 10 / 2025 (39 / 25)
एन.सी.वी नम्बर–39 / 2025
CNRRJJD010012882025
गौरव सैन **बनाम** राजस्थान राज्य

————————

दिनांक :: 08–07–2026

1. निगरानीकर्ता / अभियुक्त गौरव सेन के अधिवक्ता श्री भंवर सिंह चौहान, श्री सुरेन्द्र सिंह खिडिया उपस्थित। गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 / परिवादी के अधिवक्ता श्री शंकरलाल गुर्जर उपस्थित ।

2. निगरानीकर्ता / अभियुक्त गौरव सैन द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय अपर महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–9, जयपुर महानगर में लंबित फौजदारी प्रकरण संख्या 2905 / 2016 उनवानी संजय जलांधरा बनाम गौरव सेन गुप्ता में दिनांक 27–08–2016 को पारित प्रसंज्ञान आदेश, जिसके द्वारा निगरानीकर्ता / अभियुक्त गौरव सैन के विरूद्ध धारा–420, 467, 468, 471, 406 व 120 बी भा0दं0सं0 के तहत प्रसंज्ञान लिए जाने के आदेश दिए गए, उक्त आदेश को चुनौती देते हुए यह निगरानी याचिका श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

3. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. निगरानीकर्ता / अभियुक्त की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में गुणावगुण पर बहस किये जाने के साथ–साथ विधिक आपत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत बहस की गई है। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क रहा है कि गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 संजय जलांधरा से उनका कभी किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहा है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में ना रखते हुए विधि विरूद्ध तौर पर प्रसंज्ञान आदेश पारित कर दिया गया है। निगरानीकर्ता / अभियुक्त के जिस कृत्य के संबंध में परिवादी / गैर निगरानी कर्ता संख्या–2 द्वारा अपने परिवाद में अंकन किया गया है, उसके बाबत कोई शिकायत परिवादी / गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा पूर्व में नहीं की गई थी। पैसों के लेन–देन बाबत कोई दस्तावेजात पत्रावली पर पेश नहीं किए गए हैं। जिन चैकों के बाबत

अंकन परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने अपने परिवाद में किया गया है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किए गए हैं। परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने अभियुक्तगण का आपस में षडयन्त्र करने का तथ्य भी न्यायालय को दृष्टिगत् नहीं किया है। परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने पैसों के लेन–देन के संबंध में वीडियों रिकार्डिंग व फोटोग्राफ होना बताया है, परन्तु वह भी पत्रावली पर पेश नहीं किए हैं। सम्पूर्ण परिवाद गलत तौर पर निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जबकि उसके द्वारा कोई कृत्य कारित नहीं किया गया है। जिस प्लॉट को बेचकर पैसे दिया जाना बताया गया है,उसके कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 2009 एससी, दिलीप कौर व अन्य बनाम जगनर सिंह व 2022(7) एससीसी 124 विजय कुमार बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल में धारा–420 भा0दं0सं0 के तहत प्रसंज्ञान लिए जाने को स्पष्ट किया है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध में प्रसंज्ञान लिए जाने की लेश मात्र भी साक्ष्य विद्यमान नहीं थी, केवल मात्र बदले की भावना से झूंठा फंसाने के लिए परिवाद पेश कर दिया गया, जबकि निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः निगरानीगर्ता की निगरानी याचिका को स्वीकार कर निगरानीकर्ता की हद तक आक्षेपित आदेश दिनांक 27–08–2016 को अपास्त किया जाए।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने उक्त तर्को का विरोध किया और कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश पारित किया है तथा प्रसंज्ञान आदेश वर्ष 2016 का है तथा उसके विरूद्ध निगरानी याचिका वर्ष 2025 में प्रस्तुत की गई है, जो निश्चित रूप से मियाद बाहर है।

6. जिसके संबंध में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क रहा है कि मूल पत्रावली में प्रसंज्ञान आदेश के बाद समन–वारण्ट जारी हो रहे थे । जब हमें ज्ञान हुआ हमारे विरूद्ध कोई प्रसंज्ञान आदेश पारित हुआ तो, तुरन्त उनके द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत कर दी गई, जिसको प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब कारित नहीं हुआ है।

7. सुना गया, विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी याचिका को निस्तारित करने हेतु निम्न

अवधार्य बिन्दु सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित हैः–

आया विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27–08–2016 निगरानीकर्ता की हद तक वैध, शुद्ध व औचित्यपूर्ण है?

8. उक्त अवधार्य बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश दिनांक 27–08–2016 के जरिये निगरानीकर्ता/अभियुक्त गौरव सैन गुप्ता के विरूद्ध धारा–420, 467, 468, 471,406 व 120बी भा0दं0सं0 के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर निगरानीकर्ता को जरिये जमानती वारण्ट तलब किए जाने के आदेश दिए हैं। उक्त प्रसंज्ञान के संबंध में सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मोहम्मद इब्राहीम बनाम स्टेट आफ बिहार निर्णित दिनांक 4 सितम्बर, 2009, 2009(8) एससीसी पेज 751 में प्रतिपादित सिद्धान्त को उल्लेखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसके पैरा संख्या–11 में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

11. In short, a person is said to have made a `false document', if (i) he made or executed a document claiming to be someone else or authorised by someone else; or (ii) he altered or tampered a document; or (iii) he obtained a document by practicing deception, or from a person not in control of his senses.

9. इसी प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त के पैरा संख्या–13 में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

13. Let us now examine whether the ingredients of an offence of cheating are made out. The essential ingredients of the offence of "cheating" are as follows: (i) deception of a person either by making a false or misleading representation or by dishonest concealment or by any other act or omission; (ii) fraudulent or dishonest inducement of that person to either deliver any property or to consent to the retention thereof by any person or to intentionally induce that person so deceived to Indian Kanoon - Md.Ibrahim &

Ors vs State Of Bihar & Anr on 4 September, 2009 do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived; and (iii) such act or omission causing or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property. To constitute an offence under section 420, there should not only be cheating, but as a consequence of such cheating, the accused should have dishonestly induced the person deceived (i) to deliver any property to any person, or (ii) to make, alter or destroy wholly or in part a valuable security (or anything signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security).

10. इसी प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त के पैरा संख्या–16 में अभिनिर्धारित किया है कि–

16. The Penal Code however defines `fraudulently', an adjective form of the word `fraud', in section 25, as follows : "A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise". The term "fraudulently" is mostly used with the term "dishonestly" which is defined in section 24 as follows : "Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing "dishonestly". To `defraud' or do something fraudulently is not by itself made an offence under the Penal Code, but various acts when done fraudulently (or fraudulently and dishonestly) are made offences. These include: (i) Fraudulent removal or concealment of property (sec.206, 421, 424) (ii) Fraudulent claim to property to prevent seizure (sec. 207). (iii) Fraudulent suffering or obtaining a decree (sec. 208 and 210) (iv) Fraudulent possession/delivery of counterfeit coin (sec.239, 240, 242 and 243). (v) Fraudulent alteration/diminishing weight of coin (sec. 246 to 253) (vi) Fraudulent acts relating to stamps (sec. 261-261) (vii) Fraudulent use of false instruments/weight/measure (sec.264 to 266) (viii) Cheating (sec. 415 to 420) (ix) Fraudulent prevention of debt being available to creditors (sec. 422). (x) Fraudulent execution

of deed of transfer containing false statement of consideration (sec. 423). (xi) Forgery making or executing a false document (sec. 463 to 471 and 474) (xii) Fraudulent cancellation/destruction of valuable security etc.(sec. 477) (xiii) Fraudulently going through marriage ceremony (sec.496). It follows therefore that by merely alleging or showing that a person acted fraudulently, it cannot be assumed that he committed an offence punishable under the Code or any other law, unless that fraudulent act is specified to be an offence under the Code or other law. Section 504 of Penal Code.

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा परिवाद व परीक्षित कराए गए गवाहान की साक्ष्य को देखे जाने से दर्शित होता है कि परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने अपने परिवाद में यह कथन किया है कि अभियुक्त संख्या–1 ने एक एफ.आई.आर संख्या 228/2008 पुलिस थाना धनबाद में दर्ज कराई थी, जिसमें अनिल गुप्ता व संजय कुमावत को को अभियुक्त बताया था, जिन्होंने परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 की कम्पनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि सी.ई.ओं बताकर परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 की कम्पनी का झारखण्ड राज्य का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर रूपये ऐंठ लिए। इन्हीं तथ्यों की पुनरावृति करते हुए परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयानों में बतलाया है कि अनिल गुप्ता ने गौरव सैन गुप्ता, सम्राट चौधरी, अनूप कुमार मण्डल प्रोपराईटर सम्राट कम्यूनिकेशन धनबाद झारखण्ड के साथ मिलकर एक फर्जी एफ.आई.आर बनाई थी। उक्त एफ.आई.आर को देखने से दर्शित होता है कि वह एफ.आई.आर गौरव के द्वारा दर्ज कराई गई थी जो कि अनिल व संजय कुमावत के विरूद्ध कराई थी। निगरानीकर्ता गौरव द्वारा परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 से छल, कपट, प्रवंचना की गई है , ऐसा परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा अपनी सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान न्यायालय को दर्शित ही नहीं किया है। निगरानीकर्ता द्वारा किस प्रकार से, कैसे फर्जी व कौनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए इसका कोई स्पष्टीकरण/समाधान परिवादी/ /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 न्यायालय के समक्ष करने में असफल रहा है।

12. परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 का यह कथन रहा है कि उससे 25 लाख रूपये ऐंठ लिए, लेकिन वह यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि 25 लाख रूपये कब, कैसे, कहां से निकालकर दिए, यह भी परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 दर्शित करने में असफल रहा है। परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने 57 लाख रूपये जबरदस्ती दबाव बनाकर उससे ऐंठना भी बताया है, जिसमें से 30 लाख रूपये जेल में रहने के दौरान गैर निगरानीकर्ता 2 के प्रतिनिधि से जयपुर में प्राप्त करना बताया है, लेकिन यह रूपये कब, कैसे, किससे प्राप्त किए इस कोई स्पष्टीकरण सम्पूर्ण कार्यवाही में नहीं किया गया है। वह प्रतिनिधि कौनसा रहा यह नहीं बतलाया गया है। परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 का अपने 200 दं0प्र0सं0 के बयानों में कथन रहा है कि '' पटना बिहार, झारखण्ड निवासी अरीनदम गुहा S/O विनय भूषण ने मेरी फर्म से मिलते–जुलते फर्जी लेटर पेड बनाते हुए फर्जी विज्ञापन का बहाना बहाना करके मुझसे करीब 76 लाख विभिन्न तारीखों पर हडप लिये। जिसकी रसीद व वीडियोरिकार्डिंग मैं पेश कर दूंगा।'' लेकिन इस प्रकार की कोई रसीद या वीडियोरिकार्डिंग ना तो आज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई और ना ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो कि परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 के ही तथ्यों का समर्थन करती ।

13. एक तरफ परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 76 लाख रूपये स्वयं से लेना बताता है, वहीं परिवाद में कुल 82 लाख रूपये स्वयं से लेना बताता है, जोकि परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 के न्यायालय में किए गए कथनों एव परिवाद में वर्णित कथनों में विरोधाभास उत्पन्न करता है। इतनी बडी रकम परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा कहां से लाई गई, किस बैंक से निकाली गई, इन रूपयों की अदायगी किस प्रकार की गई? इन सभी तथ्यों को परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । इन 76 लाख रूपयों के संबंध में परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 के गवाह अनिल शर्मा व अमरचंद कुमावत ने कथन किया है कि यह रूपये परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने मकान बेचकर दिए थे, लेकिन 76 लाख रूपये में मकान बेचने के संबंध में परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है एवं जो दस्तावेज पेश किए गए है वे मकान

बेचने के नहीं होकर जेडीए में मकान के पट्टे की कार्यवाही के संबंध में हे ।

14. प्रकरण में परिवादी /गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 कूटरचित दस्तावेजों के संबंध में भी न्यायालय का समाधान करने में असफल रहा है तथा स्वयं के साथ छल करना, प्रवंचित करना आदि भी दर्शित नहीं कर पाया है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27–08–2016 में यह बतलाया है कि पत्रावली में सुसंगत दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों से प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । लेकिन परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने कौनसे दस्तावेज प्रस्तुत किए व किन दस्तावेजों के आधार पर प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया, इसका कोई अंकन विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर नहीं किया है। निगरानीकर्ता द्वारा परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 को किस प्रकार प्रवंचित कर सम्पत्ति प्राप्त की गई, ऐसा भी परिवादी/गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 ने स्पष्ट नहीं किया है। यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त अमित कपूर बनाम रमेशचंद 2012(9) एस.सी.सी पेज 460 को उल्लेखित करना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि–

The jurisdiction of the Court under Section 397 can be exercised so as to examine the correctness, legality or proprietary of an order passed by the trial court or the inferior court, as the case may be. Though the section does not specifically use the expression 'prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the ends of justice', the jurisdiction under Section 397 is a very limited one. The legality, proprietary or correctness of an order passed by a court is the very foundation of exercise of jurisdiction under Section 397 but ultimately it also requires justice to be done. The jurisdiction could be exercised where there is palpable error, non-compliance with the provisions of law, the decision is completely erroneous or where the judicial discretion is exercised arbitrarily.

16. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम फतेहचंद2017 (3) एस. सी.सी पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि–

Now, reverting to the limit of the scope of jurisdiction under Section 397 Cr. P.C., which vests the court with the power to call for and examine the records of an inferior court for the purposes of satisfying itself as to the legality and regularity of any proceedings or order made in a case. The object of this provision is to set right a patent defect or an error of jurisdiction or law or the perversity which has crept in the proceeding.

17. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को विचारण न्यायालय के आदेश में उसका विधि विरूद्ध, क्षेत्राधिकार रहित, त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध होना देखना होता है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्तो में पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों को बतलाया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्वचन किए गए तथ्यों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अपने प्रसंज्ञान आदेश में नहीं किया है तथा धारा– 420, 467, 468, 471, 406 व 120बी भा0दं0सं0 के अपराध को घटित करने के संबंध में कोई तात्विक तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध, क्षेत्राधिकार रहित, त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध होना पाया जाता है। प्रकरण में गैर निगरानीकर्ता संख्या–1 व 2 की ओर से मौखिक बहस के दौरान मियाद अवधि की आपत्ति ली गई है। इस संबंध में निगरानीकर्ता का कथन रहा है कि मूल पत्रावली में जब वारण्ट जारी हुए और उन्हें ज्ञान हुआ तो उनके द्वारा तुरन्त हस्तगत निगरानी याचिका पेश कर दी गई, जो सर्वथा न्यायोचित प्रतीत होती है। ऐसे में गैर गिनरानीकर्ता संख्या–1 व 2 की उक्त आपत्ति पोषणीय नहीं रह जाती है। पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि हस्तगत प्रकरण में संजय कुमावत के विरूद्ध एस.बी.क्रिमनल केस संख्या 5806/2024 में राजीनामे के आधार पर कार्यवाही भी अपास्त की जा चुकी है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन और विशलेषण से न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने की कोई प्रथमदृष्ट्या स्थिति के अभिलेख पर नहीं रहने के बावजूद विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/अभियुक्त गौरव सैन गुप्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण, अशुद्ध, क्षेत्राधिकार

रहितहोना पाया जाता है, जिसके कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

19. उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगरानीकर्ता/अभियुक्त गौरव सैन द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका उसकी हद तक स्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–9 जयपुर महानगर के द्वारा उनके यहां लंबित प्रकरण संख्या 2905/2016 संजय जलांधरा बनाम गौरव सैन गुप्ता में निगरानीकर्ता/गौरव सैन की हद तक उसके विरूद्ध धारा– 420, 467, 468, 471, 406 व 120 बी भा0दं0सं0 के तहत लिए गए प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 27–08–2016 को अपास्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

20. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटायी जावें।

(नीतू भारद्वाज)
अपर सैशन न्यायाधीश,
क्रम–4, जयपुर जिला, जयपुर